

कार्यालय पटवारी हल्का क्रमांक..... रा.नि.मं. तहसील..... जिला.....

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,
तहसील..... वृत्त.....
जिला.....

विषय: फसल अवशेष नरवाई जलाने की घटनाओं के नियंत्रण के हेतु कृषक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही बावद जांच प्रतिवेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के पालन में लेख है कि आज दिनांक..... को तहसील..... रा.नि.मं. प.ह.न..... के अंतर्गत ग्राम..... का भ्रमण किया गया। भूमि ख.न..... रकबा..... हे. कृषक श्री/श्रीमती..... पिता/पति श्री..... जाति..... निवासी..... के नाम अभिलेख में दर्ज है। जिसमें कृषक द्वारा..... की फसल लगाई गयी थी। भ्रमण के दौरान उक्त खसरा नंबर की भूमि में..... फसल की नरवाई जली होना पाया गया। जबकि नरवाई नहीं जलाने की सूचना ग्राम में कोटवार के माध्यम से मुनादी करा कर दे दी गई थी। जिसके बावजूद कृषको के खेतों में नरवाई जली होना पाई गई है। जिसके जलाने के कारण की सूचना कृषक द्वारा विभाग/पटवारी को नहीं दी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि कृषक द्वारा खेत में खड़ी फसल की कटाई के बाद खेत की सफाई के उद्देश्य से नरवाई में आग लगाई गयी है। जो पूर्णतः अवैध है।

कृषक द्वारा खेत में खड़ी फसल की कटाई के बाद लगाई गयी आग से खेत में न केवल नरवाई जली है, बल्कि वातावरण के ताप में वृद्धि होना, खेत में कीटों के नष्ट होने से खेत की उर्वरा शक्ति में कमी आना, खेत की मेंढ में लगे हरे-भरे वृक्ष भी झुलसकर नष्ट होना एवं गर्मी में मवेशी नरवाई खाकर अपना पेट भरती थी, अतः मवेशियों के लिए भोजन की कमी होना जैसा कार्य कारित होना पाया गया है।

अतः उक्त कृषक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न

स्थल पंचनामा

नक्शा, खसरा प्रति

पटवारी